IN THE COURT REVENUE BOARD OF AT JABALPUR

Second Appeal NO. A. 3027-I/.. 2012

Appellant :- Alok Kumar Dikshit s/o Ram Kumar Dikshit , age 31 years
R/o- Village – Mohgaon , Tehsil – Keolari , Distt.- Seoni M.P

VERSUS

Respondents :- State of M.P.

श्री उमाशंकर यादव
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
21 AUG 2012
अनुविभाग
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

Second Appeal under section 44(2) M. P.L.R. CODE 1959

Being aggrieved by the impugned Order dtd.30 Nov. 2010 passed by learned Divisional Commissioner Jabalpur in Case No.89/A-73/2009-10 (Alok Kumar – v/s- State of M.P.), arising out of order dtd.4/7/09 passed by Addl. Collector Seoni in Re. case no.62/A-73/2008-09, the present appeal on the following facts and grounds :-

FACTS

1. That facts in brief is like this , that appellant cutted down 2 trees साज , 4 trees सागौन and 1 tree कसई , thus 7 trees cutted by the Appellant without permission of the forest department , alongwith 688 woods pieces.

2. That on the basis of report of patwari , Sub-divisional Officer Keolari (Revanue) Registered Revanue case no. 21/A-73/06-07 . And by order dtd. 2/6/07 directed that Rs.- 5,500/- fine amount to appellant and also directed that cutted woods return to Appellant as per seizure memo wood's and appellant after personal use remaining woods sell to the forest department . Copy of order dtd. 2/6/07 is filed herewith and marked as **Annexure A-1 .**

3. That incompliance of Anne. A-1 Appellant deposit fine amount Rs. 5,500/-. Copy of fine deposit receipt is filed herewith and marked as **Annexure A-2 .**

4. That after passing Anne. A-1 S.D.O. sent this order before the Addl. Collector Seoni . And Addl. Collector Seoni taken cognigence sou-motto revision and passed impugned order 4/7/2009 . That by this order only fine amount maintained and remaining part of Anne. A-1 quashed and passed order for seizing woods . Copy of impugned order dtd. 4/7/09 is filed herewith and marked as **Annexure A-3 .**

5. That being aggrieved by impugned Anne. A-3 , appellant filed appeal (89/A-73/2009-10) before Divisional Commissioner Jabalpur. But by impugned order dtd.30/11 2010 same had been dismissed. Copy of impugned order dtd. 30/11/2010 is filed herewith and marked as **Annexure A-4 .**

6. That on 7/3/11 challenging to impugned order Anne. A-4 appellant filed w.p. (4345/11) before Hon'ble High court and this W.P. by order dtd. 6/8/12 withdraw with liberty to remedy provided under the M.P.L.R.Code . And also directed that appeal or revision file in four weeks then not dismiss on the ground of limitation . Copy of order dtd. 6/8/12 is filed herewith and marked as **Annexure A-5 .** Hence this appeal on the following grounds :-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 3027–एक/12 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.7.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 89/अ–73/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30–11–2010 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े वृक्षों की कटाई अवैध रूप से किए जाने की रिर्पोट पटवारी द्वारा दिए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 21/अ–73/06–07 में पारित आदेश दिनांक 2–6–07 द्वारा अपीलार्थी पर 5000/– रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया एवं काटी गई समस्त लकड़ी अपीलार्थी को वापिस सौंपकर आदेशित किया गया कि वह अपने निजी उपयोग में लाने के बाद शेष लकड़ियां वन विभाग को विकय करेगा । इस आदेश को कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लेते हुए अपीलार्थी पर आरोपित दण्ड यथावत रखते हुए काटे गये समस्त वृक्षों को शासन हित में अधिहरण किया गया । इस आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक नेअधीनस्थ न्यायालय में अपील की जो विद्वान आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील पेश की गई है । 3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आयुक्त एवं अपर कलेक्टर के आदेश अवैधानिक हैं । अनुविभागीय अधिकारी ने जो आदेश दिनांक 2–6–07 को पारित किया है वह उचित है ।	

अपील – 3027-I/12 (सिवनी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4/ अनावेदक शासन प्रकरण में एकपक्षीय है ।	
	5/ अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर, सिवनी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आदेश पारित किया गया है । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा यह जानकारी होते हुए कि इमारती वृक्षों को बिना अनुमति के नहीं काटा जा सकता, उन्हें बिना अनुमति के काटा गया है इस बात को आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के समक्ष स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक द्वारा काटे गये इमारती लकड़ी के वृक्षों को शासन हित में अधिहरण किये जाने के जो आदेश दिए हैं, वह उचित और न्यायिक हैं जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है । अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।	
	परिणामस्वरूप यह अपील निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।	
	उभयपक्ष सूचित हों तथा अभिलेख वापिस हों ।	
	सदस्य	